भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2920

उत्तर देने की तारीख 12.12.2024

पीएमईजीपी के माध्यम से सृजित रोजगार

2920. श्री नवसकनी के.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नए रोजगार अवसर पैदा किये गए है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत महिला उद्यमियों और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणियों के व्यक्तियों को कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) क्या महिलाओं और वंचित समूहों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पीएमईजीपी के तहत कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पीएमईजीपी के संभावित लाभार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) रोजगार सृजन और परियोजना अनुमोदन के संदर्भ में पीएमईजीपी के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य कितना है; और

(च) क्या सरकार लगातार इन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रही है और यदि नहीं, तो इसमें विफलता के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमानित सृजित रोजगार की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है:

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सहायता-प्राप्त उद्यमों की संख्या			
	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
2021-22	39,158	10,161	7,225	32,751
2022-23	32,626	9,142	4,850	32,084
2023-24	36,806	10,364	4,681	32,602

(ग) महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समूहों सहित भावी उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ट्रांसजेंडर से संबंधित महिला लाभार्थियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें मार्जिन मनी सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है, जबकि सामान्य श्रेणी के मामले में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% है।

ii. विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 5% है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 10% है।

iii. उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों के आवेदकों को शामिल करना।

(घ) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित संभावित लाभार्थियों के बीच पीएमईजीपी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।

ii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार-प्रसार।

iii. युवाओं और भावी उद्यमियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों पर वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

iv. इस स्कीम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो जिंगल बनाए गए हैं।

v. जनवरी 2024 से भावी लाभार्थियों से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

(ङ) और **(च):** विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सहायता-प्राप्त किये जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और रोजगार सृजन के संदर्भ में पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**लक्ष्य**		**उपलब्धि**	
	सहायता-प्राप्त किये जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	**अनुमानित रोजगार**	**(सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या)**	**अनुमानित रोजगार**
2021-22	92,666	7,41,328	1,03,219	8,25,752
2022-23	83,210	6,65,680	85,167	6,81,336
2023-24	80,120	6,40,960	89,118	7,12,944
2024-25	79,478	6,35,824	26,955 (दिनांक 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	2,15,650

****

अनुबंध-I: दिनांक 12.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2920 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित।

पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमानित सृजित रोजगार अवसरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1,296	968	1,080
2	आंध्र प्रदेश	19,816	24,584	44,616
3	अरुणाचल प्रदेश	1,568	1,264	1,352
4	असम	30,840	20,768	19,336
5	बिहार	19,816	35,672	54,696
6	चंडीगढ़	168	120	80
7	छत्तीसगढ़	24,160	20,344	19,032
8	दिल्ली	800	576	400
9	गोवा	696	528	544
10	गुजरात*	33,144	24,568	24,000
11	हरियाणा	13,808	12,472	11,184
12	हिमाचल प्रदेश	10,192	7,440	7,792
13	जम्मू एवं कश्मीर	173,184	96,184	120,520
14	झारखंड	13,712	14,808	16,808
15	कर्नाटक	47,016	44,944	37,376
16	केरल	22,312	25,032	27,112
17	लद्दाख	2,360	728	976
18	लक्षद्वीप	56	16	-
19	मध्य प्रदेश	64,656	47,656	42,336
20	महाराष्ट्र**	33,024	29,000	22,128
21	मणिपुर	9,112	4,360	2,784
22	मेघालय	5,592	2,448	2,240
23	मिजोरम	5,200	3,296	3,208
24	नागालैंड	9,928	3,752	4,136
25	ओडिशा	34,408	31,040	23,800
26	पुदुचेरी	528	200	240
27	पंजाब	14,320	12,512	11,752
28	राजस्थान	20,792	16,296	13,424
29	सिक्किम	680	456	1,056
30	तमिलनाडु	47,776	49,120	54,512
31	तेलंगाना	23,248	20,320	20,024
32	त्रिपुरा	7,664	5,624	4,704
33	उत्तर प्रदेश	100,752	92,808	93,512
34	उत्तराखंड	14,688	14,424	10,832
35	पश्चिम बंगाल	18,440	17,008	15,352
	कुल	**825,752**	**681,336**	**712,944**

**** दमन और दीव सहित ** दादरा और नागर हवेली सहित***